

निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

एफ 20 (1)आयो/निकाशि/7/160

दिनांक 23. जनवरी, 2013

प्राचार्य
यूजीसी से सम्बन्धित,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,


विषय - शिक्षक अध्येतावृत्ति में जाने से हुये रिक्त पदों पर लगाये गये एवजी व्याख्याताओं को यूजीसी नियमानुसार वेतन भत्तों का पुर्नभरण प्राप्त कर वितरण के क्रम में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्यारहवी योजना में यूजीसी की फ़ैकेल्टी इम्प्रूवमेन्ट योजना के अन्तर्गत टी आर एफ पर जाने से हुये रिक्त पदों पर लगाये गये एवजी व्याख्याताओं को सलग्न यूजीसी के पत्रांक एफ 1-16/2008 (आर. ओ/आर टी आई) पार्ट 5/19 अक्टूबर 2010 एवं निदेशालय का पत्रांक एफ 16 (145)विधि /आकाशि/जेपी/2010/126 दिनांक 6.11.2012 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

भवदीय



संयुक्त निदेशक

एफ 20 (1)आयो/निकाशि/7/161

दिनांक 23 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि

श्री धीरेन्द्र देवर्षि, वेबसाइट प्रभारी, कालेज शिक्षा को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


संयुक्त निदेशक

Ph. 23236388, 23232701, 23237711, 23234116
23235733, 23232317, 23236735, 23239437

www.ugc.ac.in



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110 002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002

No.F.1-16/2008(RO/RTI) Pt.5

October, 2010

Dr. G. Srinivas
Joint Secretary,
UGC South Eastern Regional Office,
PB No. 152, APSFC Building, IVth Floor
5-9-194, Chirag Ali Lane
Hyderabad - 500 001.


19 OCT 2010

Subject:- Proposal for Release of Salary Arrears as per 6th Pay Commission Recommendation to Substitute Teacher under FDP Scheme.

Sir,


With reference to your letter No.XTFTNMS004(FDP / UGC-SERO) RTI dated 23rd July, 2010 on the above subject, I am directed to say that if the minimum pay scale prescribed for lecturers / Assistant Prof. are revised and implemented by the State Government as per 6th Pay Commission report, substitute teachers appointed under UGC scheme of FDP during XI Plan are entitled for arrears / difference of salary as per revised scale.

Yours faithfully,


(V.K. Jaiswal)
Deputy Secretary

Copy for information to :

1. Dr. G.S. Chauhan, Education Officer, UGC Central Regional Office Tawa complex, Bittan Market, E-5, Arera Colony, Bhopal - 462 016.
2. Dr. G. Srinivas, Joint Secretary, UGC Western Regional Office, Ganeshkhind, Pune - 411 007.
3. Dr. S.C. Ray, Deputy Secretary, UGC North-Eastern Regional Office, 3rd Floor, House Fed, Rental Block-5, Beltola-Basistha Road, Dispur, Guwahati - 781 006 (Assam).
4. Dr. N. Gopukumar, Deputy Secretary, UGC South-Western Regional Office, Prasanna Kumar Block, Palace Road, Gandhi Nagar, Bangalore - 560 009 (Karnataka).
5. Dr. (Ms.) Ratnabali Banerjee, Joint Secretary, UGC Eastern Regional Office, LB-8, Sector-III, Salt Lake, Kolkata - 700 098.
6. Mrs. Shakunila Kashyap, Deputy Secretary, Northern Region College, Bureau (NRCB), University Grants Commission, 35, Ferozeshah Road, New Delhi. Publication Officer, (website), UGC, New Delhi for posting on UGC website.
8. Guard file.


(V.K. Jaiswal)
Deputy Secretary

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 16 (145) विधि/आकाशि/जे.पी/2010 /126

दिनांक: 6.11.12

प्राचार्य
यूजीसी. से संबंधित सभ्यस्त
राजकीय महाविद्यालय

विषय:-शिक्षक अध्येतावृत्ति में जाने से हुये रिक्त पदों पर लगाये गये एवजी व्याख्याताओं को यूजीसी नियमानुसार वेतन भत्तों का पुर्नमरण प्राप्त कर वितरण करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि टी.आर. एफ.पर जाने से हुये रिक्त पदों पर नियुक्त एवजी व्याख्याताओं को वेतन भुगतान हेतु वित्त विभाग के अनुसार 221/1295 एफ डी दिनांक 7.9.2010 एवं शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग की आई. डी. सं. 343 दिनांक 8.9.2010 के निर्देशानुसार फिक्स वेतन 18200/- प्रतिमाह की दर से मानदेय देने हेतु आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 20 (29)आयो/आकाशि/2010/194 दिनांक 16 सितम्बर 2010 द्वारा निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देशों के क्रम में एवजी व्याख्याताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिकायें दाखल की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एवजी व्याख्याताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम अनुसार न्यूनतम वेतन एवं वेतन पर मिलने वाले अन्य भत्तों जैसे मकान किराया मंहगाई भत्ता आदि दियेजाने का निर्णय दिया गया जिसकी अनुपालना में राज्य सरकार के वित्त विभाग के आई.डी.संख्या 221201427 दिनांक 11.10.2012 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एवजी व्याख्याताओं को दिये जाने वाले न्यूनतम वेतन एवं देय भत्ते 18200 रुपये के स्थान पर देय होंगे।

(सुनील कुमार शर्मा)

निदेशक

कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर